Shodh International: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
Vol. 5, Issue 2 – 2020
ISSN: 2581-3501

भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए प्रयास

डॉ0 अजय बहादुर सिंह[1]

[1]*सहायक प्राध्यापक, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।*

सारांश

आज सम्पूर्ण विश्व में महिला सशक्तिकरण का शोर है। महिला सशक्तिकरण से आशय है, महिलाओं का चहुंमुखी विकास, जिसमें उसके जीवन का प्रत्येक पहलू सम्मिलित हो अर्थात् महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है महिलाओं की पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनितिक, शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता। भारत में महिला सशक्तिकरण से आशय प्राथमिक रूप से महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशा में सुधार लाना है।

विशिष्ठशब्द: चहुंमुखी विकास, सांस्कृतिक, पृष्ठभूमि आर्थिक, सशक्तिकरण।

भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए प्रयास

किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज में स्त्रियों की दशा और दिशा से स्पष्ट होती है। मनृस्मृति में कहा गया है ‘‘यत्र नार्यास्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता’’ आर्थात् जहाँ नारियां का सम्मान व उनकी पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। वस्तुतः नारी समाज का वह स्तंभ है जिसके बिना समाज का निर्माण नहीं हो सकता। फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आज के आधुनिक समाज तक स्त्रियाँ उपेक्षित ही रही है। स्त्रियों की उपेक्षा ही आधुनिक समाज में महिला सशक्तिकरण की अवधारणा की जननी रही है।

आज सम्पूर्ण विश्व में महिला सशक्तिकरण का शोर है। महिला सशक्तिकरण से आशय है, महिलाओं का चहुंमुखी विकास, जिसमे उसके जीवन का प्रत्येक पहलू शामिल हो अर्थात् महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य-महिलाओं की पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक,

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता है। भारत में महिला सशक्तिकरण से आशय प्राथमिक रूप से महिलाओं की सामजिक एवं आर्थिक दशा में सुधार लाना है।

भारत में महिलाओं की स्थिति समय-समय पर परिवर्तित होती रहती है। वैदिक काल में भारतीय समाज में नारियों की स्थिति अत्यंत उन्नत थी। नारी को समाज और परिवार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। उसे अर्द्धांगिनी कहा जाता था। पति-पत्नी दोनो मिलकर यज्ञ करते थे। बिना नारी के धार्मिक कार्य अधूरा माना जाता था। वैदिक काल में कन्या अपनी इच्छा से विवाह कर सकती थी। बाल-विवाह, पर्दा प्रथा नहीं था। विधवाएँ पुनः विवाह कर सकती थी। यर्जुवेद के अनुसार नारियों को संध्या करने तथा उपनयन संस्कार के अधिकार प्राप्त थे। शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री-पुरुष में कोई भेद नहीं था और दोनों की सामाजिक स्थिति सामान थी।

उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के स्तर में गिरावट आयी। बाल विवाह प्रथा प्रारंभ हुई जिससे, शिक्षा में बाधा पहुँची। विधवा पुर्नविवाह पर प्रतिबंध लगा दिये। बहु पत्नी प्रथा का प्रचलन हुआ।

इसके पश्चात धर्मशास्त्र काल (तीसरी सदीं में ग्यारहवीं सदी तक) प्रारंभ होता है। इस काल में नारियों की स्थिति में और गिरावट आयी। चन्द्रावती लखनपाल के के अनुसार, “वैदिक काल की वह नारी जो अपने प्रबल व्यक्तित्व के द्वारा देश के साहित्य और समाज के आदर्शो को प्रभवित करती थी, अब पराधीन, परतन्त्र, और निर्बल बन चुकी है।’’ स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया।

ग्वारहवीं से सोलहवीं सदी तक का काल मध्य काल कहा जाता था। इस काल में देश मे मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। भारतीय संस्कृति की मुगलो से रक्षा करने के लिए ब्राहनाणो ने कई नियमों का प्रवधान किया। महिलाएँ अब पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व के लिए पुरूषों पर निर्भर हो गयी।

18वीं सदी आते आते नारियों की स्थिति जानवरों सें भी बदतर हो गयी। लेकिन यह स्थिति अधिक समय नहीं रहा। इस काल में देश में अनेक समाज सुधारक, शिक्षाविद् एवं नेता पैदा

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

हुए जिन्होंनें महिलाओं की स्थिति में सुधार की मांग की। राजा राममोहन राय, महर्षि दयान्नद सरस्वती, ईश्वरचन्द्र विद्यासागार, बाल गंगाधर तिलक जैसे महान समाज सुधारकों ने सतीं प्रथा, निषेध, बाल विवाह निषेध, विधवा विवाह निषेध प्रोत्साहन तथा महिला शिक्षा जैसे विषयों को उठाने में निर्णायक भूमिका अदा की। इनके प्रयासों से सतीं प्रथा निषेध अधिनियम, हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आदि पास हुआ। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं के उत्थान के महिलाओं की राष्ट्रीय समिति, विश्वविद्यालय महिला संघ, भारतीय स्त्री मंड़ल, पूना सेवा सदन जैसे कई संगठन अस्तित्व मे आयें। इनके संयुक्त प्रयास से महिलाओं में जागरूकता बढ़ी तथा उनकी स्थिति में सुधार हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् यह अनुभव किया गया कि जबतक देश की इस आधी आबादी (महिला) को सशक्त नहीं किया जायेगा तबतक देश का विकास संभव नहीं है। फलतः स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकारी, गैर-सरकारी संगठनों, महिला संगठनों तथा समाज सुधारकों के प्रयासों के कारण महिलाओं की स्थिति में आश्चर्यजनक बदलाव आया। आज भारतीय नारी की स्थिति पहले से काफी बेहतर है। उन्हें अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार प्राप्त है। आर्थिक क्षेत्र में वे पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। यद्यापि आज की स्त्रियों को बाजार की वस्तु तथा नया मनोरंजन के साधन के रूप में देखा जाता है। स्त्रियों का अवैध व्यापार, दहेज हत्या, बलात्कार और घरेलू हिंसा बदस्तूर जारी है।

संवैधानिक प्रावधान

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से विकास के समान अवसर प्रदान करने के लिए संविधान में कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई है-

अनुच्छेद 14-कानून के समक्ष सामानता का अधिकार प्रदान करता है वाहे वह स्त्री हो या पुरूष।

अनुच्छेद 16-लोक सेवाओं में बिना भेद-भाव अवसर की सामानता प्रदान करता है।

अनुच्छेद 19-स्त्री-पुरूष दोनों को समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

Shodh International: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
Vol. 5, Issue 2 – 2020
ISSN: 2581-3501

अन्य प्रावधान

पहली बार सातवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं की सामनता एवं सशक्तिकरण हेतु योजना आयोग की चिंता उजागर हुई और महिलाओं में उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रति आत्म विश्वास एवं जागरूकता उत्पन्न करने तथा उन्हें आर्थिक क्रियाकलापों और रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने हेतु योजनाओं को तैयार करने के लिए प्रयास किये गये। आठवीं पंचवर्षीय योजना विकास प्रक्रिया में समान साझेदारी एवं प्रतिभागी के रूप में महिलाओं पर विशेष बल देते हुए महिला सशक्तिकरण की दिशा में और आगे बढ़ी। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के साथ इन सभी प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आये। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम महिलाओं पर और अधिक केन्द्रित हुए। भोजन, स्वास्थ्य एवं षिक्षा के मामले में बालिकाओं और किशोरियों के प्रति भेद-भाव मिटाने की दिशा में कदम उठाये गये। बालश्रम को कम करने तथा धीरे-धीरे समाप्त करने के उपाय किये गये और महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर अधिकारी वर्ग, विधायकों, कानून, प्रवर्तन अभिकरणों तथा संबंधित मंत्रालयों के सभी स्तरों पर संचेतना पैदा करने की आवश्यकता को मान्यता मिली। केन्द्र सरकार ने 20 मार्च 2001 को राष्ट्रीय महिला की शक्ति समानता नीति अंगीकृत की। इसका उद्देश्य महिलाओं की उन्नति, विकास एंव सशक्तिकरण, उनके प्रति सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करना तथा सार्वजनिक जीवन एवं सभी क्षेत्रो में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।

आज सरकार महिलाओं के उत्थान, विकास, और उन्हें सशंक्त बनाने वाले सारे प्रयासों पर जोर दे रही है। सरकार गाँव व जंगल में अपना पहचान खोई महिलाओं से लेकर आधुनिकता से कदमताल मिलाती महिलाओं के साथ है और वह आज उनके विकास के वे सारे मानक देने को तैयार है जो उन्हें सशक्त बनाने के लिए जरूरी है। कानूनी दृष्टि से सरकार संविधान और संसोधन, दोनो माध्यमों से महिलाओं के साथ है। वह महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए वर्तमान कानूनों में समीक्षा आधारित संसोधन कर रही है। इसमें सतीप्रथा निवारण अधिनियम 1987, स्त्री अशिष्ट रूप निषेध अधिनियम 1986, दहेज निषेध अधिनियम 1961, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 और यौन उत्पीड़न से महिलाओं को संरक्षण विधेयक 2005 आदि शामिल है। इसी क्रम में महिला आयोग को महिलाओं पर

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

कानूनों की समीक्षा करने और उनकी व्यवहारिकता के बारे में संस्तुतियों का देने का कार्य सौंपा गया था। जिसमें अधिकांश कानूनों की समीक्षा कर अपना सुझाव सरकार को सौंप दी है। इसके अलावा महिला एंव बाल विकास मंत्रालय ने भी कई नये कानून लायें है और वर्तमान कानूनों में संसोधन कर रहा है ताकि महिलाओं के संरक्षण के लिए उन्हें और अधिक सक्षम बनाया जा सके। इसके अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक पुर्नवास तथा रोजगार समेत राहत संरक्षण और कानूनी सुरक्षा जैसे विषय शामिल हैं। इन सभी महिला विशिष्ट कानूनों का मकसद महिलाओं को सही मायनों मे सशक्त बनाने की दृष्टि से अन्य बातों के साथ-साथ महिलाओं को सामाजिक भेदभाव से संरक्षण प्राप्त करने के अलावा सामान अवसर प्रदान करना भी है।

कुप्रयोगों के प्रचलन को रोकने के लिए भी सरकारी स्तर पर अनेक प्रयत्न हो रहे हैं। बाल विवाह को निरूत्साहित करने के लिए विवाह विधि (संसोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा स्त्री को मत अधिकार दिया गया है। नाबालिग में की गयी अपनी शादी को बालिग होने पर वह रद्द करा सकती है। बाल विवाह संसोधन अधिनियम, 1978 द्वारा लडकी/ लडके की आयु क्रमशः 18/21 वर्ष कर दी गयी है। इसके विरूद्ध विवाह अमान्य एवं दण्डनीय है। बहुविवाह को भी हिन्दू विवाह अधिनियम द्वारा निषिद्ध कर दिया गया है। तलाक पर भी लोकसभा द्वारा विधेयक पारित किया जा चुका है। वेश्यावृति व स्त्री क्रय-विक्रय पर रोक लगाये जाने के लिए अनैतिक स्त्री व्यापार अधिनियम लागू किया गया है। दहेज प्रथा के विरूद्ध अनेक उपाय किए गये है, तथा दहेज लेने-देने को दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। विधवा जीवन की कठिनाईयों से स्त्रियों के उद्धार के लिए पुर्नविवाह को प्रोत्साहन दिया गया है। जो विधवा पुर्नविवाह नही कर पाती है उन्हे सरकार की ओर से पारिवारिक पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, आवास सुविधा आदि प्रदान की गई है।

इस संदर्भ में राष्ट्रीय महिला आयोग बालात्कार और यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनों की समीक्षा के लिए समय-समय पर कार्यशाला का आयोजन करता रहा है। इन कार्यशालाओं में अनेकों महत्वपूर्ण सुझाव सामने आते है। इनके यौन उत्पीड़न, बालात्कार तथा छेड-छाड से संबंधित कानूनों के संदर्भ में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कई परिवर्तन की वकालत की, जिसको अधिकांशतः स्वीकार कर लिया गया है।

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

Shodh International: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
Vol. 5, Issue 2 – 2020
ISSN: 2581-3501

भारत में महिलाओं से संबंधित समस्याओं की देखरेख के लिए 31 जनवरी 1991 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। यह महिलाओं का शीर्षस्थ संवैधानिक निकाय है। यहाँ महिलाओं की समस्या को सुना, समझा और संवैधानिक तरीके से हल किया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयत्नशील है ताकि महिलाएँ जीवन के सभी क्षेत्र में पुरूषों के समान दर्जा प्राप्त कर सके तथा राष्ट्र के निर्माण में समुचित भागीदारी निभा सके।

महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु नये प्रयासों के तहत केन्द्र सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलायी गई है-महिला शिक्षा पाठ्यक्रम, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की सुविधा, प्रशिक्षिण और रोजगार कार्यक्रम में सहायता, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, अन्य आवास गृह, जागरूकता सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय महिला कोष, स्वयं सिद्ध, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय प्रसव लाभ योजना, महिला तस्करी रोकथाम हेतु व्यापक योजना, प्रियदर्शिनी, अल्पसंख्यक महिला और सूक्ष्म वित्त पोषण, लाड़ली योजना। सरकार महिलाओं के आर्थिक दृष्टि से सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय महिला कोष तमाम कार्यक्रमों के सहायता एवं समर्थन प्रदान कर रही है। जिसमें ऋण संवर्धन योजना, मुख्य ऋण योजना, चक्रीय निधि योजना, फ्रेन्चाइजी योजना, गोल्ड क्रेडिट पास बुक योजना, आवासीय ऋण योजना, परिवार ऋण योजना, पुन वित्त पोषण योजना और पुनः ऋण उपलब्ध कराना जैसी योजनायें शामिल है। राष्ट्रीय महिला कोष सरकारी और गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी संगठनों के जरिए बचत एवं ऋण कार्यकलाप चलाकर महिला एवं सहायता दलों को सहायता ऋण प्रदान करता है।

राष्ट्रीय महिला कोष अपने कार्यक्रम को पूरे देश में फैलाने के लिए और अधिकारिक तौर पर निर्धन महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से सशक्त बनाने के लिए देश भर में अपने कार्यक्रम का एक समान विस्तार करने की नीति बना रही है।

जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण का प्रश्न है महिलाओं की भूमिका को बहुत सार्थक नहीं कहा जा सकता। हालांकि आज राजनीति में महिलायें काफी संख्या में आ रही है और सफल भी हो रही है लेकिन उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है। संसद में महिलाओं की संख्या के आधार पर भारत का स्थान विश्व में 65 वां और एशिया में 11वां है। अतः

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.

आवश्यकता इस बात की है कि सत्ता में अपेक्षित संख्या में महिलाओं की भागीदारी के लिए उन्हें, विधायिका में आरक्षण दिया जाय। इसके लिए 1996 में एक विधेयक संसद में लाया गया था जिससे विधायिकाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है। तब से लेकर आज तक यह विधेयक पारित होने का इंतजार कर रहा है। हालांकि राज्य सभा ने इसे पारित कर दिया हैं। बिहार और झारखण्ड राज्य के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने समय-समय पर महिलाओं के समग्र विकास, कल्याण, शिक्षा एवं सुरक्षा के लिए अनेक योजानाओं का संचालन किया है और वर्तमान में किया जा रहा है जिससे महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिर्वतन हुआ है।

फिर भी केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के संबंध में समय-समय पर कानून बनाने और संविधान में उन्हें यथेष्ट संरक्षण प्रदान करने के बावजूद आज भी नारी गरीब और लिंग आधारित विषमता का शिकार है। समाज का बुद्धिजीवी और जागरूक वर्ग वर्तमान में नारी की शोषित और उपेक्षित दशा देख चिंतित है और उसके उद्धार के लिए संघर्षरत है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. डा0 रामदेव भारद्वाज, राजनय एंव मानव अधिकार, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
2. एम0 ए0 अंसारी, राष्ट्रीय महिला आयेग एवं भारतीय नारी, ज्योति प्रकाशन, जयपुर।
3. सुभाष सेतिया, पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण, लेख, कुरूक्षेत्र, अगस्त 2007।
4. डॉ0 एस0 सी0 सिंहल, भारतीय शासन एवं राजनीति, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
5. दैनिक जागरण, हजारीबाग संस्करण, मई 2009.
6. प्रतियोगिता दर्पण, जून 2010.
7. प्रतियोगिता दर्पण, जनवरी 2016 (डिजिटल बैंकिंगः महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़तें कदम)
8. बी0 एन0 ग्रोवर एवं यशपाल आधुनिक भारत का इतिहास, एस0 चन्द एण्ड कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली।
9. प्रतियोगिता दर्पण, नवम्बर, 2018.

© Eureka Journals 2020. All Rights Reserved.